



24/5/18

पञ्जावली " पाप भापके जर "शिविर

चनकोली में प्रकृत हुई। पत्नीवादी  
 उपस्थित वादी अनुपस्थित। वाद के  
 संबंध में मजमे नाम में हरिथाब्त  
 की गयी। वादी पत्नीवादीजत के परिवार  
 के सजरे में नरी पाये गये। इस  
 प्रकार वाद चलने लायक नहीं है।  
 वाद खारिज किया जाता है। विद्वान  
 निर्णय शुभव से लिया जाकर पञ्जावली  
 के क्षेत्र ही प्रकरण फौजदारी शुभार होकर  
 नैरर से बम हो।

20

सहायक कलक्टर  
डीडवाना